...आकस्मिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण
आज दिनांक [illegible] की तारीख
आगामी दिनांक...
निश्चित की गई है। 6-11-24

...अधिकारी अवकाश/ आकस्मिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण
आज दिनांक 6.11.24 की तारीख
आगामी दिनांक....................
निश्चित की गई है। 8-1-25

...अधिकारी अवकाश/ आकस्मिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण
आज दिनांक 28-1-25 की तारीख
आगामी दिनांक....................
निश्चित की गई है। 18-2-25

...अधिकारी अवकाश/ आकस्मिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण
आज दिनांक 18-2-25 की तारीख
आगामी दिनांक....................
निश्चित की गई है। 8-4-25

8/4/25	पत्रा॰ पेश हुई। वकील वादी उप॰। इकरार/ [illegible]। पत्रावली वास्ते आदेश/ दि॰ 29/4/25 को पेश हो।
29/4/25	पत्रावली पेश हुई/ वकील वादी उप॰/ वादी की [illegible] स्वीकार कि जाकर श्री॰ पत्रा॰ हो/ पत्रा॰ [illegible] मुताबिक होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मु0न0 15 / 2024	ता0र0जू 09.04.2024	निर्णय दिनांक 28/4/25

1. कंवर पाली पुत्री काल्या पत्नी ओमप्रकाश उम्र 55 वर्ष निवासी जैसापुरा हाल निवासी दोबडा खुर्द तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत डेकवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डेकवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
3. पाना पत्नी स्व0 काल्या निवासी जैसापुरा, डेकवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
4. मोरपाल पुत्र काल्या निवासी जैसापुरा, डेकवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
5. हरकेश पुत्र काल्या निवासी जैसापुरा डेकवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

रेस्पो0

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 22.12.2020 ग्राम पंचायत डेकवा नामान्तकरण संख्या 505 राजस्व ग्राम जैसापुरा तहसील व जिला स0मा0

उपस्थितः–

1. श्री जितेंद्र कुमार शर्मा एड0 प्रार्थी की ओर से।

:– निर्णय –:

अपीलान्टस ने जरिये वकील एक अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 22.12.2020 ग्राम पंचायत डेकवा नामान्तकरण संख्या 505 राजस्व ग्राम जैसापुरा तहसील व जिला स0मा0 पेश की जिसका विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.12.2020 को ग्राम पंचायत डेकवा जरिये सरपंच द्वारा नामान्तकरा दर्ज किया गया है जिसमें अपीलान्ट का नाम मोरपाली पुत्री काल्या गलत [illegible] गया है जबकि वास्तविक नाम कंवर पाली पुत्री काल्या है जिसका [illegible] नामान्तकरण इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक पक्षीय होने से निरस्त होने योग्य है क्योकि पटवारी हल्का ने नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट के सही नाम होने की जानकारी भी नही दी एवम् अपीलान्ट के निवास स्थान पर जाकर मात्र अपीलान्ट के बोलता नाम से नामान्तकरण स्वीकृत करने में अहम् कानूनी भूल की हैं । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में अपीलान्ट का नाम [illegible] की अपील प्रस्तुत की जा रही है । अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी : अनूप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा	संस्थित	निर्णय दिनांक
16/2024	09.04.2024	24/1/25

1. कंवर बाई पुत्री काल्या पत्नी ओमप्रकाश उम्र 56 वर्ष निवासी जैसापुरा हाल निवासी डीडवा मूर्ई तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत डेकवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डेकवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
3. पाना पत्नी स्व0 काल्या निवासी जैसापुरा, डेकवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
4. धीरपाल पुत्र काल्या निवासी जैसापुरा, डेकवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
5. हरकेश पुत्र काल्या निवासी जैसापुरा डेकवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

रेस्पो0

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 22.12.2020 ग्राम पंचायत डेकवा नामान्तकरण संख्या 505 राजस्व ग्राम जैसापुरा तहसील व जिला स0मा0

उपस्थित:

1. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा एड0 प्रार्थी की ओर से।

:— निर्णय —:

अपीलान्टस ने जरिये वकील एक अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 22.12.2020 ग्राम पंचायत डेकवा नामान्तकरण संख्या 505 राजस्व ग्राम जैसापुरा तहसील व जिला स0मा0 पेश की जिसका विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.12.2020 को ग्राम पंचायत डेकवा जरिये सरपंच द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिसमें अपीलान्ट का नाम धापाली पुत्री काल्या गलत इन्द्राज हो गया है जबकि वास्तविक नाम कंवर बाई पुत्री काल्या है जिसको दुरूस्त कर नया नाम [illegible] इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें । अधीनस्थ [illegible] से निरस्त होने योग्य है क्योंकि पटवारी हल्का ने नामान्तकरण [illegible] करने से पूर्व अपीलान्ट के सही नाम होने की जानकारी भी नहीं दी एवम् अपीलान्ट के निवास स्थान पर जाकर मात्र अपीलान्ट के बोलता नाम से नामान्तकरण स्वीकृत करने में भयंकर कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलान्ट का नाम [illegible]ने की दुरूस्ती हेतु ही अपील प्रस्तुत की जा रही है । अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के वोटर पहचान पत्र एवम् जनआधार कार्ड व आधार कार्ड सभी दस्तावेजों में अपीलान्ट का नाम कंवर पाली दर्ज है अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज होने के कारण अपीलान्ट को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा का लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के नाम में हो रही त्रुटि की पटवारी हल्का के पास दिनांक 18.03.2024 को के.सी.सी. की फाईल बनवाने के लिये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम गलत होने के कारण के.सी.सी. की फाईल बनाने से इन्कार कर दिये जाने के कारण अपीलान्ट ने राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त करने के लिये दिनांक 20.03.2024 को आवेदन पेश किया और 20.03.2024 को सर्वप्रथम विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 505 में अपीलान्ट के नाम की हो रही त्रुटि की जानकारी हुई इस बाबत अलग से प्रार्थना पत्र लिमिटेशन एक्ट का प्रस्तुत किया जा रहा है। तहसीलदार सवाई माधोपुर लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया जा रहा हैं। रेस्पोडेन्टस् संख्या 3 लगायत 5 अपीलान्ट के परिवार के सदस्य होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया जा रहा अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। अन्य उज्रात दस्वक्त बहस जुबानी बाद मिसल मुआयना अर्ज किये जावेंगें। अतः श्रीमान् जी की सेवामें अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत डेकवा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 505 दिनांक 22.12.20 राजस्व ग्राम जेसापुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर में अपीलान्ट के नाम की हाल खाता संख्या 20 में हो रही त्रुटि मोर पाली के स्थान पर कंवर पाली की दुरूस्ती हेतु तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जावें जिससे अपीलान्ट को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा का लाभ प्राप्त होने पर कृषि भूमि का विकास कर सकें। आपकी कृपा होगी।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों की जरिये नोटिस तलबी की गई। रेस्पों० बावजूद तामिल होने पर भी न्या[illegible] के कारण रेस्पों० संख्या 1 व 3 लगायत 5 के विरुद्ध एकतरफा [illegible]।

प्रकरण में वकील अपीलांट की एक [illegible] वकील अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए बताया है कि [illegible]स्व ग्राम जेसापुर में खसरा नंबर 83 रकबा 1.20 है० भूमि स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी काल्या पुत्र भवान्या जाति मीणा के नाम दर्ज थी। काल्या की मृत्यु होने के पश्चात नामान्तकरण संख्या 505 निर्णय दिनांक 22.12.2020 द्वारा काल्या के वारिसान पाना पत्नी स्व० काल्या मोरपाल पुत्र काल्या, मोरपाली पुत्री काल्या, हरिकेश पुत्र काल्या,

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

के नाम दर्ज की गई है। उक्त नामांतकरण में मोरपाली पुत्री काल्या के नाम से दर्ज किया गया है जो गलत है क्योंकि काल्या के मोरपाली नाम की कोई पुत्री नहीं है बल्कि उसकी पुत्री का सही नाम कंवर पाली है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वारिसानों का सही नाम जाने उक्त नामांतकरण तस्दीक किया गया है। जो गलत है।

पत्रावली में वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस का मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्व ग्राम जैसापुर में खसरा नंबर 83 रकबा 1.20 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी काल्या पुत्र भवान्या जाति मीणा के नाम दर्ज थी। काल्या की मृत्यु होने के पश्चात नामांतकरण संख्या 505 निर्णय दिनांक 22.12.2020 द्वारा काल्या के वारिसान पाना पत्नी स्व0 काल्या मोरपाल पुत्र काल्या, मोरपाली पुत्री काल्या, हरिकेश पुत्र काल्या, के नाम दर्ज की गई है। अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अपना नाम सही करवाने हेतु पेश किया है। अतः उक्त प्रकरण का अवलोकन करने पर नामांतकरण संख्या 505 निर्णय दिनांक 22.12.2020 खारिज किया जाना उचित समझते है।

:— कियात्मक आदेश —:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर अपीलांट की अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत डेकवा नामान्तकरण संख्या 505 निर्णय दिनांक 22.12.2020 राजस्व ग्राम जैसापुरा तहसील व जिला स0मा0 खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिमाण्ड किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम जैसापुर में खसरा नंबर 83 रकबा 1.20 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी काल्या पुत्र भवान्या जाति मीणा के नाम दर्ज थी। काल्या की मृत्यु होने के पश्चात नामांतकरण संख्या 505 निर्णय दिनांक 22.12.2020 दर्ज किया गया था। काल्या पुत्र भवान्या के वारिसानो की पुनः जॉच कर नामान्तकरण तस्दीक किया जावें। आदेश की पालना के लिए तहसीलदार सवाई माधोपुर को निर्णय की प्रति भिजवाई जा[illegible] आज दिनांक 28/4/2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले [illegible] में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

(अनूप सिंह)
उपजिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उपजिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर